सत्यमेव जयते

खंड ६ संख्या १

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

सोमवार, तिथि १४ सितम्बर १९५९

Vol. VI No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, the 14th September, 1959

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना, द्वारा मुद्रित
१९६०

[मूल्य—३७ नये पैसे ।]
[*Price—37 Naye Paise.*]

करार दे दिया है। इस संबंध में जस्टिस श्री रामास्वामी और जस्टिस श्री चौधरी का जो ७ अप्रैल १९५८ का जजमेंट है उसमें यह है कि :

"....and for the reasons given in that case it must be held that the provisions with regard to compensation under section 4 cannot be regarded as true compliance with the provisions of section 290 of the Government of India Act, and the provisions of section 299 of the Government of India Act have thus been violated. It must, therefore, be held that the provisions of section 4 of Bihar Act II of 1948 are illegal and *ultra vires* and the order made by the Subdivisional Officer under Section 4 of the Act restoring the possession of the holdings to the defendants, as also the order of the Deputy Commissioner in appeal, are illegal and *ultra vires*.

इस कानून को गैरकानूनी इसलिये घोषित किया गया था क्योंकि इसमें कम्पनसेशन देने के लिये जो प्रोविजन था वह अपर्याप्त था और इसलिये यह कहना कि टाना भगत के लिये इस कानून को पास किया गया था और इसलिये हाईकोर्ट ने इसे गैरकानूनी घोषित किया है, निराधार है।

इसके बाद हमारे दूसरे माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस बिल में कुछ गलतफहमी हो गयी है और इसलिये मैं इसको जरा साफ कर देना चाहता हूं। टाना भगत को जमीन लौटा देने के लिये ५०० दरखास्तें पड़ी जिनमें १०० दरखास्त का डिस्पोजल हुआ और बाकी ४०० दरखास्त योंही पड़ी हुई हैं। अब मैं इनके डिस्पोजल्स के लिये एक नया तरीका अख्तियार करना चाहता हूं। जितनी दरखास्तें पड़ी हैं और आगे समय बढ़ाने से जो भी इसके लिये दरखास्त पड़ेगी उसके डिस्पोजल के लिये हम एक स्पेशल अफसर बहाल करने जा रहे हैं जो एडीशनल कलक्टर के रैंक का आदमी होगा और वह अपना सारा समय इस काम में लगायेगा। ऐसा होने से हमारा विश्वास है कि यह काम सुचारु रूप से चलेगा और यह काम सम्पन्न हो जायेगा। सदन के सामने इस आश्वासन को देने के बाद मैं यह उम्मीद करता हूं कि सदन इस विधेयक को अब पास करेगा।

अध्यक्ष– प्रश्न यह है कि :

रांची डिस्ट्रिक्ट टाना भगत रैयतस एग्रीकल्चरल लैंड्स रेस्टोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ (१९५९ की बि०सं० १४)।

THE BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD (AMENDMENT) BILL, 1959 (L. A. BILL NO. 14 OF 1959).

*श्री कृष्णकान्त सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ पर विचार हो।

(व्यवधान।)

अध्यक्ष महोदय, इस बिल को सभा के सामने विचारार्थ रखते हुए मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है चूंकि इसके ऑब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में यह साफ दिया हुआ है कि इस अमेंडिंग बिल को लाने का क्या मकसद है। आप जानते हैं कि इस स्टेट के अन्दर १९५२ से एक स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड काम कर रही है। पहले पटना युनिवर्सिटी के मातहत मैट्रीकुलेशन एक्जामिनेशन हुआ करता था। १९५२ से उसे अलग करके इस बोर्ड की स्थापना की गयी। इस बीच में जैसे-जैसे शिक्षा में प्रगति हुई केन्द्रीय सरकार की अनुमति से और केन्द्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड के अनुमोदन से मुदालियर कमिशन की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में हायर सेकेन्डरी कोर्स इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि हायर सेकेन्डरी के लड़कों की परीक्षा कैसे हो। इस बोर्ड की स्थापना इसलिये हुई थी कि मैट्रिकुलेशन की परीक्षा का संचालन यह करेगी। अब नयी चीजें सामने आयीं। सवाल यह है कि इसके लिये कोई दूसरी संस्था कायम करना जरूरी है या नहीं? ऐसा निश्चय किया गया कि इस बोर्ड को जो पावर दिया गया है उसमें कुछ रद्दोबदल करके हायर सेकेन्डरी की परीक्षा इसी बोर्ड के मातहत रखा जाए। गत साल ९२ हजार कैंडिडेट्स मैट्रीकुलेशन में एपीयर हुए थे। इस साल कुछ और अधिक होंगे। तो जब १९५९ में करीब १ लाख लड़के एपीयर हुए तो बोर्ड का काम कितना बढ़ गया है आप समझ सकते हैं।

जहां तक मौजूदा बोर्ड के प्रतिनिधित्व का सवाल है उसको भी अधिक प्रसारित करने की बात इस नये बिल में रखी गयी है। जितनी शिकायतें की गयी हैं उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेशन को अच्छी तरह से कंडक्ट करने के लिये इस बोर्ड को अधिक पावर दिया जाए और रिकंस्टीच्युट किया जाय यही इस बिल का मकसद है। आपको मालूम है कि मौजूदा बोर्ड में तीन सदस्य हैं—डी०पी०आई० और दोनों युनिवर्सिटियों के दो वाइस-चान्सलर। बोर्ड का काम इतना बढ़ गया और इन तीनों पर इतना काम लादा हुआ है कि समय पर सभी काम अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिये यह सुझाव है कि एक अनुभवी आदमी को इस बोर्ड का होलटाइम चेयरमैन बनाकर उनके द्वारा काम का संचालन किया जाय।

श्री रामजनम ओझा—बिहार युनिवर्सिटी या पटना युनिवर्सिटी के जो वाइस-चांसलर हैं क्या उसी तरह के होलटाइम चेयरमैन इस बोर्ड के होंगे?

श्री कृष्णकांत सिंह—कैसा होलटाइम चेयरमैन हम आपको देंगे यह समय ही बतलायेगा।

दूसरी बात यह है कि चेयरमैन के ऐब्सेन्स में काम कैसे चलाया जायगा इसकी व्यवस्था इस बिल में रखी गयी है। इस बिल के चौथे क्लौज में प्रोपर सुपरवीजन की बात रखी गयी है।

अध्यक्ष—यही चौथा क्लाज तो इस बिल में इम्पोर्टेन्ट है।

श्री कृष्णकान्त सिंह—हुजूर, अभी १२८ हाई स्कूलों में हायर सेकेन्डरी सिलेबस इन्ट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस राज्य के अन्दर १,७१२ हाई स्कूल खुल चुके हैं। इतनी बढ़ती हुई प्रगति को अच्छी तरह से संचालन करने के लिये इस बिल को जल्द से-जल्द पास करना बहुत जरूरी है। गत सेसन में इस बिल को लाया गया था और अब इसे जल्द इसलिये पास करना है कि इम्तहान सामने है और यह बिल पास होने पर ही खर्च की अनुमति मिल सकती है। इतना कहकर मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि इसे जल्द-से-जल्द पास कर दे।

श्री रामाशीश सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार स्कूल एक्जामिनेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५९ तिथि १५ जून १९६० तक जनमत जानने के लिये परिचारित हो।"

अध्यक्ष—सेलेक्ट कमिटी में भेजने के लिये श्री शीतल प्रसाद भगत तथा श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल के प्रस्ताव की सूचना मेरे सामने है। श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल अभी सभा में नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि श्री शीतल प्रसाद भगत अपना प्रस्ताव मूव करना चाहते हैं या नहीं?

(उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।)

मैं ऐसा मान लेता हूं कि वे नहीं मूव करेंगे। तो सेलेक्ट कमिटी के मोशन को मैं नहीं लेने वाला हूं। अब श्री रामाशीश सिंह, जो अपना प्रस्ताव मूव कर चुके हैं, बोलें।

श्री रामाशीश सिंह—मैं इसलिये इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचारित करना चाहता हूं कि जो वर्त्तमान बिल हैं उसके अन्दर बहुत-सी खामियां हैं, फिर भी उसी बोर्ड को ही हायर सेकेन्डरी की परीक्षा लेने का अधिकार इस अमेंडिंग बिल में दिया जा रहा है।

अध्यक्ष—वर्त्तमान बोर्ड तो जाने वाली है। इसलिये उसके विषय में आपको कुछ कहना नहीं है।

श्री रामाशीश सिंह—वर्त्तमान बोर्ड को ही अधिक पावर दिया जा रहा है। आज जितने एक्जामिनर्स की बहाली होती है उसमें आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे एक्जामिनर्स हैं जो बीस वर्षों से काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष—जो प्रजेन्ट एक्ट है उसपर बोलने की क्या जरूरत है? आप अमेंडिंग बिल पर बोलें।

श्री रामाशीश सिंह—हुजूर, इस बिल में जो पावर दिया जा रहा है मेरे ख्याल से वह प्रजातांत्रिक नहीं है।

अध्यक्ष—कौन पावर?

श्री रामाशीश सिंह—एक्जामिनेशन लेने के पावर के बारे में मैं कहना चाहता हूं, हुजूर।

अध्यक्ष—यह पावर तो पहले से ही है।

इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज यह है कि एच० ई० स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में परिवर्तित कर दिया जाय और दूसरी चीज है एक बोर्ड कंस्टिट्यूट कर देने की। अब आप इन्हीं चीजों पर बोलें।

*श्री रामाशीश सिंह—अच्छी बात है, हुजूर। जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए इस बिल में कोई उपाय नहीं देखने को मिल रही है। इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाय जिसमें जनता अपनी राय दे सके।

*श्री बद्री सिंह—अध्यक्ष महोदय, श्री रामाशीश सिंह जी द्वारा जो संशोधन सदन में

पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके द्वारा यह मांग की गयी है कि
मुदालियर कमीशन के मुताबिक हायर सेकेन्डरी कोर्स जो लागू किया जा रहा है उसके
लिए जरूरत है कि परीक्षा की व्यवस्था की जाय। मैं देखता हूं कि पिछले साल करीब-
करीब ६० हजार परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे और आगे इसकी संख्या और भी
बढ़ेगी। इस बढ़ती हुई संख्या को देखने से ऐसा लगता है कि स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड
जो अभी है वह इस काम को अच्छी तरह नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने
आगे यह भी कहा है कि रुपयों की कमी है, और और तरह की कठिनाइयां हैं उनको
दूर करने के लिए जो बोर्ड है उससे काम नहीं चल सकता है और वह हायर
सेकेन्डरी स्कूल की परीक्षा नहीं ले सकता है इसलिए यह बिल को पेश किया गया है।
उद्देश्य और हेतु में भी यह बतलाया गया है कि यह बहुत ही इफेक्टिव है और प्रति-
मूलक है लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यह सबसे ज्यादा अप्रतिमूलक और अप्रभावशाली
है। पहले दो वाइसचान्सलर और एक डी० पी० आई० मेम्बर थे जिनके बारे में
उन्होंने स्वीकार किया है कि वे अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकते थे इसीलिए उन्होंने
कोशिश की है कि ऐसे लोगों को बोर्ड में रखा जाय जो प्रभावशाली ढंग से काम कर
सकें। इस नये बोर्ड में कहा गया है कि ट्रेनिंग कॉलेज के एक प्रिंसिपल और दो
ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें सरकार एक्सपर्ट समझेगी। पहले तीन थे और अब सात
सदस्य बोर्ड में रखे गये हैं। एक चेयरमैन होगा जो अपना आदमी होगा और हम
समझते हैं कि चेयरमैन से उनका मतलब उसके तजुर्बे से नहीं है बल्कि ऐडमिनिस्ट्रेशन
से है। कहा गया है कि सरकार दो एक्सपर्ट को चुनेगी यानी जितने लोग हैं वे
एक्सपर्ट नहीं हैं ऐसा मालूम पड़ता है।

श्री कृष्णकान्त सिंह—ऐसा किस क्लाज से आपको झलकता है?

श्री बद्री सिंह—इस बिल के खंड ४ के उप-खंड (२) में दिया हुआ है कि:

"(2) The State Government may nominate for such period not exceeding the term specified in sub-section (4) as it may think fit, not more than two persons to be members of the Board on the ground that they, in the opinion of the State Government, possess expert knowledge of examination system."

तो आपने यह कहा है कि दो ऐसे और लोग भी लिए जायेंगे इससे मतलब यह है कि कुछ विशेष ज्ञान और उनको रहेगा। इस तरह आप सात सदस्यों का बोर्ड बनाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष--पुराने वोर्ड को इम्प्रूव किया जा रहा है इसलिए यह तो शिकायत की बात नहीं है।

श्री बद्री सिंह--हुजूर, उन्होंने कठिनाइयों का हवाला दिया है जिसकी वजह से अच्छी तरह से काम नहीं चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो नया बोर्ड बनेगा वह भी प्रतिभाशाली नहीं है। इस बोर्ड का काम होगा कि जो हायर सेकेन्डरी स्कूल के लड़के परीक्षा मे ठें उनके परीक्षापत्र की जांच हो सके। लेकिन बोर्ड में ऐसे लोगों को नहीं लिया जा रहा है जो परीक्षा से संबंध रखते हों, मेरा मतलब अध्याप ों से है। प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में भी कहा गया है कि चेयरमैन का चुनाव खुद करेंगे और ज्यादा युनिवर्सिटी होने पर बारी-बारी से हर युनिवर्सिटी से चुनाव करेंगे। इसके बाद विशेष ज्ञान रखने वालों का भी चुनाव आप ही करेंगे। तो एक तरफ से जहां तक पेश के आधार पर आप यह कर रहे हैं उससे यह मालूम होता है कि सबका प्रतिनिधित्व नहीं होता है और इसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको पढ़ाने का काम कम है और प्रशासन का काम ज्यादा है। ऐसे लोगों को इसमें रहने की जरूरत है जिनका अध्यापन कार्य से जीवन संबंधित हो और कम-से-कम १५, २० वर्षों के अध्यापन कार्य का तजुर्बा हो।

वाइस-चांसलर को माना कि सैद्धांतिक रूप में जानकारी है लेकिन उनका स्तर इतना ऊंचा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के सामने परीक्षा की जो समस्या है उस पर गहराई से अध्ययन नहीं कर सकते, यह भी ठीक नहीं है। इसमें दो प्रतिनिधि होंगे, उनका कालेजों से या हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ जीवित संबंध उनके सामने छात्रों का नहीं रहेगा.....

अध्यक्ष--यह बात सही है कि नौमिनेट किए जायंगे। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि किसको नौमिनेट किया जायगा, युनिवर्सिटी से तो नौमिनेट किया ही जायगा।

श्री बद्री सिंह--लेकिन जो युनिवर्सिटी के प्रतिनिधि रहेंगे उनका चुनाव भी तो सरकार ही करेगी। सरकार युनिवर्सिटी को तो अधिकार नहीं दे रही है? हो सकता है कि इस ढंग का चुनाव हो जाय कि जिसको अध्यापन से सरोकार नहीं है और गवर्नमेंट का फैसला का आधार क्या होगा, यह इसमें साफ नहीं है। इसके बाद जो अध्यापक हैं और उनका संबंध परीक्षा-पत्र इत्यादि से रहता है, अगर इस तरह की जानकारी के लोग नहीं आवेंगे और बोर्ड के लोग व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिनका जीवित संबंध अध्यापन से नहीं है और वे उसका प्रतिनिधि बनेंगे तो सही माने में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसके अन्दर यह विचार करना जरूरी है कि प्रशासन के अलावे परीक्षा का ढंग, विषय और स्तर, इन सब बातों की ओर भी ध्यान दिया जाय। जो बोर्ड बनेगा उसमें सात सदस्य रहेंगे और जैसे कालेजों की संख्या बढ़ेगी वैसे-वैसे प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ सकती है इसलिए इस ओर सरकार का ध्यान जाना

चाहिए कि सही माने में लोग इसमें प्रतिनिधि चुने जायं। हर साल लगभग ६० हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ५० प्रतिशत लड़के सफल नहीं हो पाते हैं। उनको कितनी बड़ी परेशानी होती है.....

अध्यक्ष—पिछले साल तो ५० प्रतिशत रिजल्ट हुआ था ?

श्री बद्री सिंह—५० प्रतिशत सफल हुए और ५० प्रतिशत असफल हुए। यह भी शिक्षा विभाग के लिए कोई गौरव की बात नहीं है। इसमें मालूम पड़ता है या तो सिलेबस की खराबी है, या अध्यापन में कमी है या हो सकता है कि जिनको कोई जानकारी नहीं है उनके द्वारा परीक्षा पत्र तैयार करवाया जाता हो। इन सारी बातों का उत्तरदायित्व बोर्ड का हो जाता है। मैं तो कह सकता हुं कि सिर्फ साल दो साल का रिजल्ट पर ही विचार न कर पिछले कई सालों के रिजल्ट का आधार लेकर जांच होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह बहुत महत्व का काम है और जिन लोगों का इस विषय से जीवित संबंध रहा है उन्हीं को इसके बीच रखा जाय।

दूसरी बात खंड ४ (सी) के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार चाहती है कि बोर्ड के प्रतिनिधियों के कामों में जो किसी तरह की खामियां रहेंगी उसके बावजूद भी जो बोर्ड का फैसला होगा उसको सरकार अवैध नहीं मानेगी। यह हमारे लिए एक अजीब सी बात हो जाती है कि सरकार खामियों पर पर्दा डालने के लिए हमसे अधिकार ले। मैं तो कहूंगा कि इनके अकल का दिवाला हो गया है और मैं समझता हूं कि इनका दिमाग सही नहीं है। हम यह देखते हैं कि कमिटियों के गठन में काफी पक्षपात की जाती है और बोर्ड के गठन में जो खामियां रहेंगी और उसके बावजूद जो उसका फैसला होगा उसको सरकार अवैध नहीं मानना चाहती है, तो यह बड़ी ही अजीब सी बात होगी। इसीलिए मैं चाहता था कि इसको जनमत जानने के लिए भेज दिया जाय।

अब मैं आपका ध्यान खंड ७(ए) की ओर ले जाता हूं जिसमें Appointment of Committee to inquire into the working of the Board की व्यवस्था है।

इस व्यवस्था के अनुसार जहां तक मैं समझता हूं कि जिन खामियों के बारे में मैं ऊपर कह चुका हूं, बोर्ड में होंगी वे इसके द्वारा दूर नहीं हो सकती हैं। सरकार की नीयत साफ होते हुए भी जो इसका मतलब है, सिद्ध नहीं हो सकता है हालांकि मैं इससे सहमत हूं कि ऐसे गठन बनाए जायं जो ऐसे संगठनों के कार्यों की एवं गतिविधियों की छान-बीन कर सकें। मैं तो कहूंगा कि इस व्यवस्था का अनुकरण दूसरे विभाग, खास कर राजस्व विभाग, विद्युत् विभाग और दूसरे विभाग के मंत्रीगण भी करें।

अध्यक्ष—क्या जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं वही रहेंगे ? इस क्लौज को देखने से पता चलता है कि दूसरा चेयरमैन भी हो सकता है।

श्री कृष्णकान्त सिंह—दूसरा भी चेयरमैन हो सकता है।

अध्यक्ष—हम समझते हैं कि दूसरा होना ही चाहिये ।

श्री बद्री सिंह—बोर्ड के कामों की छानबीन करने के लिये कमिटी बन रही है यह व्यवस्था अच्छी है लेकिन इसमें कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिनका समाधान नहीं किया जायगा तो यह व्यवस्था बेकार हो जायगी । हमलोगों को तजर्बा है कि यदि कोई आदमी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करता है तो उसकी जांच सरकारी अधिकारी के द्वारा ही होती है और ऐसी हालत में ९९ प्रतिशत अफसर निरपराध साबित होता है, अभियोग लगानेवाला ही दंडित होता है । इस कमिटी का चुनाव यदि सरकार करेगी तो अभियोग लगानेवाले पक्ष को समर्थन नहीं मिलेगा । बोर्ड की गड़बड़ियों पर अभिभावक शिकायत लावेंगे और यदि सरकार ही इस कमिटी के सदस्यों का चुनाव करेगी तो उन शिकायतों की उचित जांच नहीं हो सकेगी । इस प्रकार एक सर्वशक्तिमान कमिटी का गठन नहीं हो सकेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि कमिटी के सदस्यों की संख्या अधिक होनी चाहिये । इसमें विधान सभा के सदस्य भी रह सकते हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय सदस्यों का सारा समय जनता के बीच बीतता है इसलिये उनको शिक्षा के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है लेकिन कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनको शिक्षा का काफी अनुभव है और इसकी गलतियों को प्रकाश में ला सकते हैं, इसलिये मेरा कहना है कि सरकार कुछ लोगों को चुने और कुछ लोगों को विधान सभा चुने और कुछ अध्यापकों के भी प्रतिनिधि हों । यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो कमिटी निष्पक्ष भाव से काम नहीं कर सकेगी । यदि केवल सरकार के चुने हुए लोग इसमें रहेंगे तो वे मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को खुश करने का प्रयास करेंगे । इस विषय से संबंध रखनेवाले जो दूसरे लोग हैं उनको भी रखना जरूरी है । अध्यापन कार्य में जो लोग हैं और जो दूसरे विशेषज्ञ हैं उनकी राय इस कमिटी में आना बहुत जरूरी है क्योंकि यह स्थाई कमिटी बनने जा रही है । हम जानते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर हमारा करोड़ों रुपया बेकार खर्च होता है और वह सभी सरकारी अधिकारियों के कारण नहीं होता है बल्कि अधिकांश सरकारी अधिकारियों के गोलमाल के कारण होता है । इसलिये सभी प्रकार के लोगों के तजर्बे से फायदा उठाना जरूरी है । इन सब बातों को देखते हुए मैं आवश्यक ही नहीं बल्कि अत्यावश्यक समझता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जाय । ऐसा करने से हर वर्ग के लोगों की राय हम जान सकेंगे । इससे सारे सूबे का कल्याण होगा, शिक्षा विभाग की उन्नति होगी और हम आगे बढ़ेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री तथा उप शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे साथी श्री राम अशीष सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ।

श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जो बिल सदन के सामने है उस बिल के जरिये हायर सेकंडरी स्कूल्स की परीक्षा होगी उसका अधिकार एक कमिटी को दी जायगी जो परीक्षा हो रही है उसमें पास करनेवाले विद्यार्थी ही डिगरी कोर्स में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जायंगे । दूसरी परीक्षा उनकी हो रही है जो मैट्रिक पास करके फर्स्ट ईयर में हैं, दोनों को पास करके एक ही जगह जाना होगा लेकिन दोनों की परीक्षा का संचालन दो जगह हो रहा है । मेडिकल और इंजीनियरिंग में नम्बर पर एडमिसन होता है जो फर्स्ट ईयर में है उसका नम्बर कम होगा क्योंकि उसको असेस्मेंट नहीं मिलेगा ।

कुछ विषय एक में कम्पलसरी है जो दूसरे में नहीं है, जैसे सोशल स्टडी, एप्लाइड साइन्स। एक लड़का प्री-युनिवर्सिटी परीक्षा पास करके युनिवर्सिटी में दाखिल होगा लेकिन फर्स्ट ईयर में नाम लिखाये हुए लड़के का फेट डुम्ड होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इस समय हजारों लड़के हायर सेकन्डरी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, वहां से निकलने के बाद उन्हें डिग्री कॉलेज, अग्रीकल्चर कॉलेज, इंजीनियरींग कॉलेज आदि में एडमिशन लेने में फैसिलिटी नहीं मिलेगी।

श्री नवलकिशोर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को यह बतला देना चाहता हूं कि टेकनिकल कॉलेज में जो एडमिशन मौजूदा हायर सेकन्डरी की परीक्षा को पास करने के बाद होते हैं उसमें एसेसमेंट का मार्क नहीं जोड़ा जाता है। इसमें एसेसमेंट का मार्क हटा कर गिनती होती है। दूसरी बात यह है कि जिन सबजेक्ट के मार्क की गिनती प्री-युनिवर्सिटी में होगी उसी सबजेक्ट के मार्क की गिनती हायर सेकन्ड्री में होगी। इसलिये उन्हें कहीं एडमिशन लेने में कोई बाधा नहीं पैदा होगी और न है।

श्री रामानन्द सिंह—ऐसा कहां हो रहा है?

श्री नवलकिशोर सिंह—यही हो रहा है और यही होगा।

श्री रामानन्द सिंह—मैं इसे नहीं मानता हूं।

अध्यक्ष—कोई माने या नहीं लेकिन इसे मान लिया गया है।

श्री रामानन्द सिंह—अभी जो लड़के हायर सेकन्डरी से पास करेंगे जो फर्स्ट ईयर का स्टन्डर्ड होगा लेकिन इसका अभी कोई नियम नहीं बना है। अगर नवल बाबू की बात मान ली जाय तो उस तरह से दो स्टैन्डर्ड होगा, एक तो कॉलेज का और दूसरा इस स्कूल का। अभी तक आपने जो स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड कनडक्ट किया है उसकी क्या हालत है, अध्यक्ष महोदय, भागलपुर कॉलिजियट स्कूल में सन् १९५८ की इंगलिश की परीक्षा लेते समय सन् १९५७ का पेपर बांट दिया गया नतीजा यह हुआ कि फिर से री-एक्जामिनेशन लेना पड़ा, इसी तरह हिन्दी की परीक्षा लेने के समय सुपौल में हुआ। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो एक्जामिनेशन बोर्ड का सुपरविजन किया जाता है वह ठीक नहीं है। इसको इम्प्रूभ किया जाय।

अध्यक्ष—अभी जो बोर्ड है उसमें कोई शिकायत नहीं है।

श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है, सुपौल में एक एक्जामिनर से तीन आने पैसे काट लिये और उससे दस्तखत भी कराया गया।

अध्यक्ष—आप बहुत इरिलिवट कहते जा रहे हैं।

श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य को देखा जाय जहां लेजिस्लेचर लोग इस बोर्ड के मेम्बर रहते हैं लेकिन बिहार राज्य में जो लोग इसमें रखे जायंगे उसमें लेजिस्लेचर नहीं रहेंगे।

Shri KRISHNA KANT SINHA : There is no School Examination Board in Bengal.

Shri RAMANAND SINGH : That is a committee. I am sorry. अध्यक्ष महोदय, हर जगह जो व्यवस्था है उसमें लेजिस्लेचर के मेंबर रहते हैं उससे यह होता है कि अगर किसी प्रकार वहां धांधली होगी तो मेम्बर इसको एजिटेट करेंगे।

अध्यक्ष—तो आप सिर्फ यही कहिये कि इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी रहें।

श्री रामानन्द सिंह—मैं इसका डिफेक्ट बतला रहा हूं। मेरा कहना यही है कि हजार दो हजार छात्र जो प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स के हैं उनका जीवन बर्बाद हो जायगा। ये छात्र ही हमारे देश के भविष्य हैं इसलिए इनके जीवन के साथ खेलना नहीं चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है।

Shri RADHANANDAN JHA : Mr. Speaker, Sir, after hearing the arguments advanced by the members of the Opposition Benches I have come to the definite conclusions to oppose their amendments. Sir, they have raised certain points which have not satisfied us that this Bill should be circulated for the purposes of eliciting public opinion thereon and at the same time I strongly support the Bill which had been introduced by the Deputy Minister for Education. From the perusal of the Bill I see that there are five important points to be discussed there and out of five there are three points which concern the academic matter and two to the administrative set up of the Secondary Board.

They are (1) mainly to empower the Bihar School Examination Board, constituted under the Bihar School Examination Board Act, 1952, to conduct the Higher Secondary School Examination, (2) to change the constitution of the Bihar School Examination Board by increasing the number of the members, (3) during the temporary absence of the Chairman, provision is being made for carrying on his function, (4) to empower the State Government to appoint a committee to enquire into the working of the Board and (5) to appoint a Secretary. These are five points to be discussed here.

So far as (1) is concerned, it is a matter of academic policy and it was incumbent upon the State Government to make the students enable to appear at the higher secondary examination which will Commence in 1960. In this State Sir, there are large number of schools where Higher Secondary courses have been introduced. So far as my information goes, the number of such schools is 100. Therefore it is very essential for the State Government to bring this Bill so that students desirous of appearing at the examination for higher secondary may sit on the due date in the year 1960. If it is not done, the fate and prospect of a large number of students will be doomed and marred.

Only the other day, if you recall, you will find that similar provision has been made in the Bihar and Patna Universities Act in order to empower them to conduct the examinations for the students appearing at the pre-university examination, because there was no alternative left save and except to make arrangements immediatlely for the purpose. Therefore suitable amendments were made in those Acts in order to enable the students concerned to appear at the pre-university examination.

Sir, aftter the submission of the Mudaliar Commission Report on the Secondary Education the Central Education Advisory Board accepted that and the basic recommendation of the commission was to introduce higher secondary courses in the schools. In accordance with that policy which was based on academic interest courses for higher secondary were given effect to in this State. Therefore it is very essential for the Government to bring a suitable legislation for the purpose of those students who have been admitted in the higher secondary. Hence there is nothing unusual in this Bill to be discussed because it has only empowered the present School Examination Board to hold examination for them. Therefore I may call it a wise move.

Now Sir, the second point is the constitution of the Board by increasing the number of its members. Formerly there were three members on the Board viz. the Vice-Chancellors of the Patna and Bihar Universities and the D. P. I. The Vice-Chancellors of those Universitles were by rotation presiding over the meetings. They had no time to go into details rather they used just to give their seals on the suggestions presented before them by the Secretaries. You know Sir, that more than a lakh of students are appearing this year at the school examination and the affairs have become unmanageable. Much of the answer books are carelessly lying on the railway platforms, steamer ghats and railway godowns as if there are no claimants, and in this way these bundles of answer books are sometimes lost and this causes great hardships to the examinees. Secondly, there is favouritism, nepotism and black

mailing in the appointment of examiners, paper setters and moderators and Central Superintedents. These appintments are made generally and frequently on Pairvi. The cases of senior teachers are brushed aside. The relatives of the authorities get all these jobs and works totally. There is none perhaps to see all these callous attitude of the authorities. You know Sir, that this School Examination Board is a temple of learning and now it has become the house of favouritism, groupclique, etc. Avarice and corruption have entered into the administration. Therefore in order to root out all these things the constitution of the new Board will be effective and I have every hope that this newly constituted Board will be able to stamp out all these evils from the Board.

I will draw the attention of the Education Minister and the Deputy Minister to sub-clause (4) of the Bill where there is the provision of the constitution of the Board. They say, in the Statement of Objects and Reasons, that to make it more representative increase in the number of members is essential. But I do not see any provision for the members of the Legislature. Members of the Legislature are the right persons to be included because they will take decision keeping in view the demand of the people and the need of the day. If they are included this Board will have really a representative character. My second suggestion is that there should be two representatives of the teachers on the board because this has been constituted mainly for them.

Sir, in this connection I must humbly request the Government to increase the number of members in order to accommodate more members of representative characte .

SPEAKER : Have you given notice of any amendment ?

Shri **RADHANANDAN JHA** : No, Sir, I am throwing a few suggestions for consideration of Government.

It is also proposed to change the constitution of the Board. My suggestion is that some members of the Legislature should be taken in this Board. My second suggestion is that there should be two representatives of teachers.

SPEAKER : Why ?

Shri **RADHANANDAN JHA** : Teachers are invigil tors, teachers are examiners, and teachers are Superintendents of examinations. So teachers are very intimately concerned with the working of the Board, and so in all fairness they should get representation on this Board.

I welcome the provision for the appointment of a Committee to enquire into the working of the Board. Similar provisions are present in the Patna and Bihar Universities Acts, and this will serve as a super-check on the Board.

So far as the appointment of a Secretary for the Board is concern d, I may say that a senior I. A. S. officer should be posted in this place. This post is very responsible and of high academic character. A man of high integrity should be posted.

Shri RAM JANAM OJHA : Do you suggest an I. A. S. officer on administrative or academic grounds ?

Shri RADHANANDAN JHA : The Secretary has two functions, academic and administrative, and it is for this reason that I suggest that an I. A. S. Officer be posted.

श्री कर्पूरी ठाकुर--मुझे पता नहीं क्यों सिनेट के मेम्बर होते हुए आप इस तरह की राय रखते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के पद पर एक आई० ए० एस० अफसर को रखना चाहा था लेकिन इसका घोर विरोध हुआ और ठीक ही हुआ। बोर्ड के सेक्रेटरी को एक एडूकेशनिस्ट होना चाहिये।

श्री राम जनम ओझा--अध्यक्ष महोदय, अभी जिस बिल के संबंध में यहां चर्चा हो रही है इसी तरह का एक और बिल इस मौके पर सदन में आया है वह है हाई स्कूल्स कंट्रोल बिल। यह दोनों बिल इस बात का द्योतक है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति के सबंध में आज पुनर्विचार करने को बैठे हैं। हमारे राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का जो स्थान होनेवाला है उस शिक्षापद्धति की कौन सी रूपरेखा तैयार करें जिसका असर सिर्फ इसी जेनरेशन पर नहीं पड़नेवाला है बल्कि भविष्य में भी उसका असर होगा। अभी श्री राधानन्दन जी ने जो बातें कही हैं उसमें एक मुख्य बात यह है कि अभी १९६० में लड़के को एपीयर होना है इसलिये इसको जैसे तैसे करके जल्द से पास कर देना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह चीज सिर्फ १९६० के लिये ही नहीं होने जा रहा है इसलिये इसमें ऐसी जल्दीबाजी या ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिये जो राष्ट्र के हित में घातक हो। जिन्होंने इस बिल को लाया है वे भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी के ही प्रोडक्ट होंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले मैट्रिकुलेशन के एक्जामिनेशन का काम प्रोफेसर करते थे जो एकेडेमिक होते थे लेकिन अब वैसा नहीं होने जा रहा है। आज सारी बातों को छोड़कर जो शिक्षा का इतिहास है उसको छोड़कर जिससे शिक्षा का विकास हुआ है उसको छोड़कर आप सिर्फ मुदालियर कमीशन का शरण ले रहे हैं। मुदालियर कमीशन के भी उसी अंश का आप शरण ले रहे हैं जिससे आपका मतलब निकलने वाला है। कमीशन ने कहा है कि हायर सेकेन्डरी होना चाहिये और साथ ही थ्री इयर्स डिग्री कोर्स होना चाहिये। यह अच्छी चीज भी है अब लड़के को इससे कुछ समय की बचत होगी जो किसी टेकनिकल लाइन में जाना चाहेंगे। लेकिन आप मुदालियर कमीशन के स्प्रीट को छोड़ देते हैं। आप हायर सेकेंडरी ले आये, स्कूल पर कब्जा किया, एक्जामिनेशन पर कब्जा किया, स्कूल के कंट्रोल पर कब्जा किया यानी सब चीज पर आप अपना कब्जा कर रहे हैं। अब जो एक्जामिनेशन बोर्ड बनेगा उसमें एक बोर्ड बनेगा यह उसी तरह होगा जिस तरह से एक रस्सी का दो छोर होता है। विद्यार्थियों को पढ़ाया जायगा कहीं और परीक्षा होगी कहीं। जब हम बच्चों के पढ़ाई की कल्पना करते हैं तो दो बातें याद

आती हैं एक बच्चों की पढ़ाई और दूसरी उसकी परीक्षा। आज इस प्लानिंग के युग में यह बात किस तरह जंचती है कि जहां स्कूल का इम्तहान पहले प्रोफेसर लिया करते थे आज के तरीका में योग्यता की कितनी कमी हो गई है।

पहले जहां यूनिवर्सिटी काम करती थी मैट्रिकुलेशन के संबंध में आज न सिर्फ यही नहीं है कि वह बात नहीं रह गई बल्कि आज ऐसा किया जा रहा है कि सरकार की ताकत स्कूल की परीक्षा इत्यादि के संबंध में भी और भी जितनी बातें हैं सभी में रहेगी, सरकार एक ओमनीपोटेंट ताकत होगी इस संबंध में। यह किस तरह का ऐप्रोच हो सकता है इन बातों को देखने का? मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि उनके सामने कौन सी बाधा आ खड़ी हुई है कि वे एक कंसालीडेटेड बिल दोनों के लिए नहीं ला रहे हैं। स्कूल का कंट्रोल और एक्जामिनेशन को क्यों नहीं एक साथ कर देते हैं?

श्री कृष्ण कान्त सिंह--क्या आप समझते हैं कि सेकेन्डरी स्कूल कंट्रोल बोर्ड और स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड दोनों को एक ही जगह रखना ज्यादा प्रोग्रेसिव होगा, और दोनों को दो जगह रखना ऐसा नहीं होगा?

श्री राम जनम ओझा—हम जो समझते हैं वह तो कह ही रहे हैं। तो हुजूर मैं यह कह रहा था कि आज कौन सी बाधा उत्पन्न हो रही है.....

अध्यक्ष—दोनों तो एक ही एजेंडे पर हैं।

श्री रामजनम ओझा—जब आप बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं का तो वहीं से संबंधित हो जाती है यह बात कि परीक्षा कहां होगी .....

अध्यक्ष--तो आपको कहना चाहिए कि बिल गलत है।

श्री रामजनम ओझा--वही मैं कह रहा हूं कि यह बिल गलत है और वह सही संशोधन है जिसमें कहा गया है कि इसको जनमत के लिए भेजा जाय.....

अध्यक्ष—उस दूसरे बिल में भी जनमत का संशोधन है।

श्री रामजनम ओझा—जी हां। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोनों बिलों को लेकर सरकार को सोंचना चाहिए था और इस संबंध में मैंने यूनिवर्सिटी की पृष्ठ भूमि की बात की कि वहां बाजाप्ता सिनेट है, सिन्डीकेट है, यानी वह एक पूरा अलग इन्सटीट्यूशन ही है। उसी तरह क्या इस संबंध में नहीं किया जा सकता है ताकि सेकेन्डरी एजुकेशन को ऐसी संस्था सही रूप में चलावे?

(इस अवसर पर श्री राधानन्दन झा ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

तो ऐसी एक बॉडी हो और उसका भी प्रमुख कार्यकर्त्ता जैसे यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर होता है रहना चाहिए जो एक यहां से कमिटी बना दे और समूचे बिहार के

स्कूलों को कंट्रोल करे। अगर सही माने में स्कूलों को कंट्रोल करना था और एक्जामिनेशन को करना था तो दोनों को इंटरलिंक कर देना था। लेकिन सेकेन्डरी स्कूल बोर्ड की एक अलग कमिटी आपकी इच्छा पर हो और एक्जामिनेशन का बोर्ड भी आपकी इच्छा पर हो तो इन इच्छाओं पर आप कुछ प्रतिबंध लगाते तो आपके लिए और इस स्टेट की शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाती।

कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, कंट्रोल और नौमिनेशन को ही लेकर आपकी पालिसी ठीक होती है और सारी शक्ति सरकार अपने हाथ में लेती है और इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार की यह पालिसी गलत दिशा में जा रही है। अगर यही रवैया रहा तो आगे चल कर कोई भी एक आदमी सारी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है और वह बड़ा ही ईमानदार और ईश्वर पर भरोसा रखने वाला होगा और कहेगा कि वह कोई खराब काम तो नहीं कर रहा है। पहले भी सारी शक्ति सरकार के हाथ में रहती थी और वह भी जनता की भलाई के लिये सारी शक्ति अपने हाथ में रखना चाहता है और जैसा रवैया आज इस सरकार का है उसमें उसका कहना नामुनासिब नहीं होगा। इसलिये मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के भी मामले में वह नोमिनेशन करने की पालिसी को क्यों अख्तियार करने जा रही है। अभी सरकार की ओर से जितना काम होता है उसमें खराबी आने का जड़ यही नौमिनेशन है और इसी को लेकर एक कंट्रोभर्सी खड़ी हो जाती है और काम सुचारुरूप से नहीं चलने पाता है। इसलिये मैं सरकार से यह कह देना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में सरकार को इस नौमिनेशन की नीति को नहीं अख्तियार करना चाहिये। शिक्षा के जरिये ही आप राष्ट्र का नवनिर्माण करना चाहते हैं तब फिर नौमिनेशन को लाकर इसमें कंट्रोभर्सी क्यों खड़ा करना चाहते हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि लेजिस्लेचर के प्रतिनिधि, रिकोगनाइज्ड स्कूल्स के टीचर्स के प्रतिनिधि की एक बॉडी बनायी जाय और जिस तरह से यूनिवर्सिटी में सिनेट रहता है उसी तरह से इस सेकेंडरी एजुकेशन के लिये भी १०० या ५० लोगों की एक बड़ी बौडं बनायी जाय जिसके हाथ में पॉलिसी तय करने का अख्तियार रहना चाहिये। इसके चेयरमैन की बहाली का अधिकार यदि सरकार लेना चाहे तो ले सकती है लेकिन उसके रोज रोज के काम में सरकार को दखल नहीं देना चाहिये। अभी जो हाई स्कूल्स कंट्रोल बिल और हाई स्कूल्स एक्जामिनेशन बिल हैं एक ही सिक्के के दो रूप हैं। एक से हाई स्कूल के टीचर्स और मैनेजिंग कमिटी की बहाली पर कंट्रोल होगा और दूसरे से एक्जामिनेशन पर कंट्रोल करने की बात है। मेरा तो अपना ख्याल है कि इन दोनों बिल को वापस लेकर एक कनसोलीडेटेड बिल सदन के सामने सरकार की ओर से आना चाहिये जिसमें यूनिवर्सिटी के सिनेट की तरह एक बॉड के निर्माण का सुझाव रहना चाहिये जिसमें लेजिस्लेचर, टीचर्स आदि का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। अगर सरकार इसकी जरूरत समझे तो सिन्डीकेट की तरह से कोई कार्यकारिणी का भी वह निर्माण कर सकती है लेकिन फिर भी उसमें सरकारी कंट्रोल और नोमिनेशन का सवाल नहीं रहना चाहिये। अगर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती हो और सभी चीजों पर वह अपना जाल फैलाना चाहती हो और सारी चीजों को अपने हाथ में रखना चाहती हो तो उस जाल को तोड़ने के लिये कोई हनुमान जरूर ही पैदा हो जायेंगे और मच्छर बन कर भी उस जालरूपी सुरसा के मुंह से पार हो जायेंगे और सारी चीजों को अपने अधिकार में करने की कोशिश करेंगे। ऐसा होने से भावी संतान आपको कोसेंगे। इसलिये मैं सरकार से यह कह देना चाहता हूं कि जो स्प्रीट मुदालियर रिपोर्ट में है उसी स्प्रीट से सरकार को

काम करना चाहिये और सारी शक्ति को अपने हाथ में सरकार को नहीं लेना चाहिये। अगर आप पर जनता का विश्वास रहेगा तो बिना इस शक्ति के भी इस गद्दी पर आप आ सकते हैं। लेकिन इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को पोल्युट करने से तो कोई फायदा नहीं हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जगह पर रहने देना चाहिये। आप अभी रांची, भागलपुर आदि जगहों में युनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और उसके सिनेट को औटोनोमस बनाते हैं उसी तरह से इस सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को भी औटोनोमस बनाइये।

इस मूल सिद्धांत की गड़बड़ी को आपके सामने रखने के बाद मैं समझता हूं कि सरकार इसके तथ्य को समझ गयी होगी और इस प्लानिंग के जमाने में कटपिस मेथड से लेजिस्लेशन लाने का विचार छोड़कर, गुदरी की जगह पर एक नयी रजाई के रूप में एक अच्छा लेजिस्लेशन लावेगी जिससे समाज का जाड़ा दूर हो कर उसकी भलाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब खतम करता हूं।

श्री वैद्यनाथ मेहता—सभापति महोदय, जो बिल अभी सदन के सामने पेश है

उसकी गहराई में जाने से दो ही बात की संभावना मालूम पड़ती है, एक तो यह कि कुछ लोगों का प्रोविजन हो जायेगा। और उनको अच्छे पदों पर जाने का मौका मिलेगा और दूसरी बात यह होगी कि अभी जो एक्जामिनेशन की संक्टीटी और सिक्रेसी है वह खतम हो जायेगी। इस बिल में यह कहा गया है कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिये एक रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर की बॉडी बनेगी और उसमें वे ही लोग लिये जायेंगे जिनको उससे सरोकार होगा। तो क्या इसका यह माने होगा कि एक्जामिनेशन जो एक्जामिनी के सरोकार का है तो एक्जामिनी लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी इसमें होगा? तब फिर इस बोर्ड का फौरमेशन किस आधार पर होगा? दूसरी बात यह देखने में आती है कि इसमें कुछ नोमिनेशन होगा। इसमें कुछ युनिवर्सिटी और सेकेंडरी एजकेशन के प्रतिनिधि रहेंगे और कुछ लेजिस्लेचर के प्रतिनिधि रहेंगे लेकिन वे लोग गवर्नमेंट के नोमिनी होंगे। अब सवाल यह होता है कि सरकार की ओर से किन लोगों का नोमिनेशन होगा। एक्जामिनेशन का कुछ लोगों को एक्सपर्ट नौलेज होगा उनका नोमिनेशन होगा। अब सवाल यह होता है कि एक्जामिनेशन का किसको एक्सपर्ट नौलेज होता है। टीचर्स पढ़ाते हैं और वे लोग ही एक्जामिनेशन भी लेते हैं क्योंकि यह दोनों चीज साथ ही साथ चलती है। अब क्या इनके सिवाय कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट हैं जिनको केवल एक्जामिनेशन से ही ताल्लुक रहता है।

आप उस बोर्ड में ऐसे आदमी को रखना चाहते हैं जिनको एक्जामिनेशन से ताल्लुक सभी बातों का ज्ञान हो। मगर ऐसे आदमी का नोमिनेशन यदि सरकार करे तो एक्जामिनेशन की संक्टीटी और सेक्रेसी खतम हो जायगी। ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल के लिये सरकार का नोमिनेशन और सभी चीजों में सरकार का ही नोमिनेशन यह अच्छा नहीं मालूम पड़ता। जो छात्र हायर सेकेन्डरी पास करके यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं उनके एक्जामिनेशन की रिसपौंसबिलीटी यूनिवर्सिटी को ही लेना चाहिये ताकि यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड दिन व दिन न गिरता जाए। अभी हमारे एक दोस्त ने बताया है कि प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स पास करके जो लड़के डिग्री कोर्स में दाखिल होंगे और जो लड़के हायर सेकेंडरी बोर्ड पास करके यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे दोनों के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर और एक ही एक्जामिनिंग औथरीटी होना लाजिमी है। यही युक्तिसंगत मालूम पड़ता है नहीं तो यदि दोनों के लिये दो तरह के एक्जामिनेशन रखा जायगा तो

आगे चलकर यह सवाल पैदा होगा साइंस या टेकनिकल इंस्टीच्यूट्स में ऐडमिशन के संबंध में किसको प्रायरीटी दी जाए। इसको हल करने के लिये यूनिवर्सिटी को एक तीसरा एक्जामिनेशन का प्रबन्ध करना पड़ेगा। तो इतनी लम्बी प्रोसेस न रखकर क्यों नहीं एक एक्जामिनेशन में प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स वाले और हायर सेकेंडरी कोर्स वाले को बैठाने का इंतजाम किया जाता है। ऐसा न करने के कारण छात्रों को परेशानी होगी और ऐडमिनिस्ट्रेशन क्लमजी होती जायेगी, तथा एक्जामिनेशन की सैंक्टीटी और सेक्रेसी खतम हो जायेगी। आपने कहा है कि इस बोर्ड की वर्किंग को जांच करने के लिये कमिटी को नियुक्ति होगी और उसका चेयरमैन सरकार नौमिनेट करेगी। अभी सभा में बतलाया गया है कि आज हर एक्जामिनेशन में क्या धांधली होती है। सभी भाईयों को मालूम है कि मैट्रिकुलेशन एक्जामिनेशन में लड़के दाखिल होने के बाद ही फौरन पटना चले आते हैं और एक्जामिनर के पास सिफारिश लेकर हाजिर हो जाते हैं। इस पवित्र चीज में इस तरह की बात बर्दास्त करने लायक नहीं है क्योंकि आज के छात्र भविष्य के राष्ट्र निर्माता होंगे। आपने इस बात को माना है कि कमिटी में गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच करने के लिये एक क्लॉज में प्रोविजन किया गया है। यह प्रोविजन बहुत ही भयंकर मालूम होता है। आज क्वेश्चन का लीकेज होता है, मेंबरों के पास पैरवी होती है और यह सारी चीजें इसी रूप में रह जायेगी तो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। आप इंगलैंड में देखेंगे कि पहले पहल जब वहां इस तरह की गड़बड़ी हुई तो यूनिवर्सिटी एक्जामिनेशन बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड को यूनिवर्सिटी के मातहत कर दिया गया। यदि आप भी इसको यूनिवर्सिटी के अन्दर रख देंगे तो गड़बड़ी होने की कम गुंजाइश रहेगी। जो कम मेरीट वाले लड़के होंगे उनसे जो ज्यादा मेरीट वाले होंगे उनको यूनिवर्सिटी जरूर हायर एडुकेशन के लिये चुनेंगी और इससे छात्र सम्प्रदाय को ही फायदा होगा तथा देश का भी फायदा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को अभी इस रूप में न पास करके इसपर फिर विचार करके एक अच्छा रास्ता निकाला जाए जिससे एक्जामिनेशन की सैंक्टीटी और सेक्रेसी कायम रहे।

(इस अवसर पर अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ओबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में बतलाया गया है कि मुदालियर कमिशन की रिपोर्ट के मुताबिक यह बिल लाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि उस रिपोर्ट के खिलाफ काम किया जा रहा है। क्योंकि उस रिपोर्ट का मूल सिद्धांत यह है कि इन्टिग्रेटेड सिस्टम ऑफ एडुकेशन होना चाहिये लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बतलाया है, इस बिल से ऐसा नहीं होनेवाला है। यह कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दरम्यान में सभी हाई स्कूल को सेकेंडरी में कनभर्ट करने की संभावना है।

अध्यक्ष—अभी सवाल यह है कि जो लोग हायर सेकेन्डरी में चले गए हैं उनका क्या होगा?

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—अभी थोड़े से छात्र हायर सेकेन्डरी स्टेज में हैं। जैसा बतलाया गया है कि १९६० में करीब एक लाख छात्र मैट्रिकुलेशन में एपीयर होंगे। मेरा ख्याल है कि मुश्किल से [illegible] का तीन प्रतिशत छात्र हायर सेकेंडरी में १९६०

में एपीयर होंगे । आपको मालूम है कि असेसमेंट में किस तरह की धांधली होती है। वह सिस्टम बिलकुल दोषपूर्ण है । लड़कों को अच्छा डिविजन मिले इस ख्याल से असेसमेंट में कहीं कहीं बहुत अधिक नम्बर दे दिया जाता है । हायर सेकेन्डरी में एसेसमेंट पर मार्क रखा गया है ।

अध्यक्ष—शांति, शांति । इसके बारे में नवल किशोर बाबू ने बतलाया है । उन्होंने कहा है कि एसेसमेंट का मार्क्स काउन्ट नहीं होगा ऐडमिशन में ।

श्री श्यामसुन्दर सिंह—हुजूर, लेकिन मैं कहता हूं कि यह दूसरी चीज है। प्री-यूनिवर्सिटी एक्जामिनेशन होगा और बोर्ड एक्जामिनेशन भी होगा तो इसतरह दोनों के स्टैंडर्ड में फर्क रहेगा ।

दूसरी तरफ यह है कि जो हाई स्कूल एक्जामिनेशन पास करेंगे और आगे पढ़ना नहीं चाहेंगे उनके लिए खुला हुआ है कि प्री-युनिवर्सिटी एक्जामिनेशन देंगे और कॉलेज में पढ़ने के लिए डिग्रीकोर्स में ऐडमीशन के लिए प्री-ऐडमीशन टेस्ट देना होगा । तो उनका दो एक्जामिनेशन हो जायगा । इसलिए सरकार को ऐसी चीज निकालनी चाहिए कि इन्टीग्रेटेड सिस्टम हो और एक स्टैंडर्ड हो । यह नहीं कि बोर्ड का स्टैंडर्ड अलग और यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड अलग । हुजूर, मैं समझता हूं कि जब स्टेट में दो यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं और एक और खुलने की बात है तो यूनिवर्सिटीज को ही हाई स्कूल एक्जामिनेशन कंट्रोल करने के लिए दिया जाय जिससे एफिसिएन्सी बढ़े ।

दूसरी चीज बोर्ड के कंस्टिट्यूशन के बारे में है । कहा गया है कि बोर्ड को रिप्रेजेंटेटिव और इफेक्टिव बनाना है लेकिन मैं कहता हूं कि नया बोर्ड जो होगा वह रिप्रेजेंटेपटिव नहीं होगा इसलिए कि आज आप ऊपर से लेकर नीचे तक इसी पर जोर दे रहे हैं कि शासनसूत्र का डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिए और सरकार की तरफ से कोशिश रात-दिन यह हो रही है कि सारे सत्ता को अपने हाथ में कर लें और केन्द्रित कर लें। सरकार यूनिवर्सिटी से प्रतिनिधि नौमिनेट करेगी । मैं पूछता हूं कि इसकी जरूरत क्या है ? जब इसी विधान सभा से बिहार और पटना यूनिवर्सिटीज में सदस्य चुने जा सकते हैं तो इस बोर्ड के लिए भी क्या एक प्रतिनिधि चुनकर नहीं भेजे जा सकते ?

अध्यक्ष—लेजिस्लेचर के कोई सदस्य अगर ऐसी बात कहे तो क्या यह प्रतिवाद नहीं होगा ?

श्री श्यामसुन्दर सिंह—लेजिस्लेचर के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज का रिप्रेजेन्टिटव गवर्नमेंट के नौमिनेट करने की बात है तो यूनिवर्सिटी ही क्यों नहीं अपना रिप्रेजेन्टेटिव चुनकर भेज सकती है ? इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की तरफ से सेन्ट्रलाइजेशन की कोशिश की जा रही है । अतः मैं कहता हूं कि नौमिनेटेड बाइ स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखकर नौमिनेटेड बाइ यूनिवर्सिटी रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आगे जो बात है उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

अध्यक्ष—आपने इनके बारे में अमेंडमेंट क्यों नहीं दिया ?

श्री श्यामसुन्दर सिंह—इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पब्लिक ओपीनियन के लिए इसे परिचारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद यह कहा गया है कि दो सदस्य ऐसे होंगे जिनको एक्सपर्ट नॉलेज एक्जामिनेशन का हो। जो शिक्षक रात दिन स्कूल में पढ़ाते हैं और परीक्षा लेते हैं उनको इसका ज्यादा नॉलेज होगा इसलिए ऐसा प्रॉविजन होना चाहिए था कि वे स्कूल टीचर्स ही हो। सरकार नौमिनेट करेगी तो अपना खास आदमी भेजेगी। टीचर्स लोगों का अपना टीचर्स एसोशिएशन है, वह खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देगा। बोर्ड के जिस तरह से निर्माण की बात कही जा रही है मेरे ख्याल में यह दोषपूर्ण है।

सेक्शन ७ में कहा गया है कि वकेन्सी हो जाय तो डी० पी० आई० काम करेंगे। अब देखा जाय कि हो सकता है कि एक ही वर्ष में वकेन्सी हो जा सकती है तो दो वर्ष उन्हें काम करना पड़ेगा जिससे बिल का परपस पूरा नहीं होगा। साथ ही आप जानते हैं कि डी० पी० आई० खुद बहुत काम से लदे रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद वर्किंग आफ दी बोर्ड को देखने के लिए एक कमिटी के निर्माण की बात कही गई है, यह आवश्यक है। लेकिन जहां तक लड़कों का संबंध है मैं कह देना चाहता हूं कि उनके जीवन के साथ मजाक हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाय। सात मेम्बरों की बात कही गई हैं और यह जो कहा गया है कि इसे एक्सपेन्ड कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव रूप देना चाहते हैं तो ऐसी कोशिश होनी चाहिए केन्द्रीयकरण नहीं होकर सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो।

श्री हरिचरण सोय—अध्यक्ष महोदय, सदन में जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसके सपोर्ट में दो-चार बातें पेश करना चाहता हूं। स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में जो यह कहा गया है कि बोर्ड के मेम्बरों की संख्या बढ़ायी जा सकती है और अधिक रिप्रेजेन्टेटिव बनाया जायगा इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन जिस तरह से संख्या को बढ़ाया जा रहा है और मेम्बरों को बहाल करने की जो बात हो रही है इसमें हमारा मतभेद है। मैं यह नहीं मानता हूं कि यह सारा नौमिनेशन से ही हो। जहां तक रिप्रेजेन्टेटिव बनाने की गुंजाइश हो वहां इसका मौका देना चाहिए जैसे, यूनिवर्सिटी से मेम्बर चुने जायंगे तो वहां यूनिवर्सिटी को इसका मौका देना चाहिए कि वह खुद चुनकर भेजे।

अध्यक्ष—शांति, शांति, यह सब तो श्री श्याम सुन्दर जी कह ही चुके हैं।

श्री हरिचरण सोय—मैं केवल पासिंग रेफ़रेंस दूंगा। चेयरमैन के चुनाव के बारे में कहा गया है लेकिन चेयरमैन का चुनाव किस तरीके से होगा, कैसे आदमी का होगा, इसको साफ तौर से रहना चाहिए था। सेक्रेटरी के अप्वायन्टमेंट के बारे में इसके अन्दर कहा गया है कि उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा मगर चेयरमैन के बारे में यह साफ तौर पर नहीं कहा गया है कि इसका क्या आधार रहेगा बल्कि इसमें यह गुंजाइश है कि ऐसे आदमी को भी चुना जा सकता है जिसको शिक्षा विभाग से या शिक्षा का कोई तजुर्बा न हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें साफ तौर से यह रहना

चाहिए कि जिसको चुना जायगा उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कामों से और शिक्षा से उसको जानकारी हो और वही आदमी इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है। दूसरी बात मैं यह जरूर दुहरा रहा हूं कि अगर एग्जामिनर्स और टीचर्स इसके अन्दर नहीं लिए जायंगे तो यह रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सही मानें में नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष—सिर्फ एक्जामिनर्स ही या एग्जामिनी भी ? (हँसी)

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—एक्जामिनी के गार्जियन को ले लेने से काम चल जायगा।

श्री हरिचरण सोय—मौजूदा बिल में एक्जामिनर्स के और टीचर्स के लिए जान की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह चुनाव ठन से किया जाय। जिस यूनिवर्सिटी से एक बार चुनाव हो गया हो उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी से नौमिनेट किया जाना चाहिए या हर यूनिवर्सिटी का एक-एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें लिए जाय।

दूसरी बात यह है कि मैं यह देखता हूं कि इसके द्वारा सरकार पावर का केन्द्रीयकरण कर रही है। बोर्ड बनाने में यह उद्देश्य रहना चाहिए था कि सारे के सारे आदमी नौमिनेट नहीं किए जायं मगर इसमें ऐसे आदमी नौमिनेट हो जायंगे जिनको सरकार चाहती है। मेरा कहना है कि टीचर्स और एक्जामिनर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए।

श्री कृष्णकांत सिंह—हुजूर, बात बहुत छोटी थी लेकिन बढ़ गई बहुत अधिक। मैं समझता था कि बहुत जल्द ही इससे माननीय सदस्य राजी हो जायंगे और यह बिल तुरंत पास हो जायगा लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें बहस की गुंजाइश हो गई है। जहां तक माननीय सदस्य बद्री बाबू का कहना है कि दो आदमी के अलावे मालूम होता है कि कोई एक्जामिनेशन एक्सपर्ट रहेगा ही नहीं। हमारे समझ में यह नहीं आया कि यह कैसे निकल आया, कौन क्लौज से और कौन लाइन से। इसमें लिखा है कि इसके सदस्य होंगे चेयरमैन, डी० पी० आई०, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के दो प्रतिनिधि। इस पांच के अलावे दो और नौमिनेट होंगे जिनको एक्जामिनेशन एक्सपर्ट समझा जायगा। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि एक्जामिनेशन रिसर्च का डायरेक्टर एक्जामिनेशन एक्सपर्ट नहीं होगा तो कौन होगा ? डी० पी० आई० और टीचर्स ट्रेनिंग कालेज का प्रिंसिपल को एक्जामिनेशन का कोई नौलेज नहीं हो मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि ये सभी लोग एक्जामिनेशन के एक्सपर्ट हैं। इसके अलावे जिनको एक्जामिनेशन का एक्सपर्ट समझा गया है वे डायरेक्टर होंगे या और ऐसे लोग ही सकते हैं जिनकी इस प्रांत में कमी नहीं है। चेयरमैन बोर्ड का ऐसे आदमी को बना दिया जायगा जो वे पढ़े-लिखे आदमी हो, ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। जिनको सेकेन्डरी स्कूल से ताल्लुकात है, ऐसे ही लोगों को सरकार चुनेगी। हमारे श्याम सुन्दर बाबू ने नहीं समझा तो उनसे मेरी भिन्नता है। बोर्ड का काम केवल पढ़ाने और एक्जामिनेशन का नहीं है बल्कि प्रशासन का ही काम है। अगर दोनों को एक साथ समझते हैं तो यह नहीं है। हमारे स्टेट में, १९५२ में जो बिल रखा एक्जामिनेशन बोर्ड के एसटैब्लिसमेंट के बारे में वह एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। बहुत प्रांतों में बोर्ड को एक ही साथ रखा गया है लेकिन हमने एक्जामिनेशन

केशन को अलग करके एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है और इस स्टेप को हम रेट्रोग्रेड स्टेप नहीं समझते हैं। माननीय सदस्य यदि ऐसा नहीं समझते हैं तो मैं उनसे भिन्नता रखता हूं क्योंकि 'जिनकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी'। बहुत से माननीय सदस्य समझते हैं कि हम पीछे हट रहे हैं और हम आगे बढ़नेवाले नहीं हैं, और जिनको अध्यापन का तजुर्बा नहीं है उनको इसमें रखा जायगा, इस संबंध में मैं कहता हूं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और डी० पी० आई० को अध्यापन का तजुर्बा न हो, ऐसा मैं नहीं समझता। यूनिवर्सिटी से जो दो आदमी लिए जायंगे वे अध्यापन से तजुर्बा रखनेवाले रहेंगे। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर को भी टीचिंग का तजुर्बा है चूंकि वे एक टीचिंग यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो चुनाव होता है उसमें भी सरकार यूनिवर्सिटी का कंकरेन्स ले लेती है और तब चुनाव करती है चूंकि उनकी जवाबदेही है इसलिए उनका सहयोग लेना जरूरी है। प्रि-यूनिवर्सिटी कोर्स क्यों कर रहे हैं? माननीय श्री राधानन्दन झा जी को भी यूनिवर्सिटी के कामों की जानकारी है।

अगर इस राज्य की क्षमता होती तो एक साथ ही सारे स्कूलों को हायर सेकेंडरी कर दिया जाता। हमारे पास पैसे की कमी है इसलिये सभी स्कूलों को एक साथ हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनाया जा सकता है तभी तो प्री-यूनिवर्सिटी करने की आवश्यकता पड़ी। यह एक टेम्पोररी फेज है। हम इसलिये ऐसा कर रहे हैं कि आगे वही लड़के पढ़ें जो तेज हैं और हमारे कालेजों में ओभर क्राउडिंग न हो। मुदालियर कमीशन की यही रिपोर्ट थी। यदि इसको जनमत के लिये परिचारित किया जायगा तो मार्च बीत सकता है लेकिन हमको जनवरी से काम शुरू करना है। हम यूनिवर्सिटी को यह काम इसलिये नहीं दे सकते हैं कि यह परमानेंट फेज नहीं है। किसी भी काम को करते समय हमें प्रगति को भी देखना पड़ता है।

कहा गया है कि सदस्यों को भी इसमें रखना चाहिये। बात यह है कि एक छोटी सी टेकनिकल कमिटी है और उसमें केवल विशेज्ञों को ही रखा जायगा। हमारे सूबे में शिक्षा के बारे में एक स्टेट एडभाइजरी कौंसिल है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। उनकी राय के अनुसार बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एडुकेशन, बोर्ड ऑफ बेसिक एडुकेशन, कल्चरल एडुकेशन काम करती है। मैं समझता हूं कि काम बहुत अधिक हुआ है इसलिये एक होल टाइम चेयरमैन की आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या में, लड़कों की बढ़ती हुई संख्या के कारण हायर सेकेंडरी एडुकेशन को इन्ट्रोडियुस करना पड़ा और इसके लिये एक संस्था चाहिये। एक प्रिंसिपल सैकड़ों शिक्षकों को देखता है, इसलिये इसमें टेकनिकल लोगों को रखा गया है।

चुनाव की बात भी कही गयी है। यदि एक्जामिनेशन बोर्ड का चुनाव होगा तो उसकी सैंकटिटी और सिक्रेसी खतम हो जायगी। ओझाजी का विचार प्रोग्रेसिव नहीं है। हम काम करते हैं तो उससे कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर कोई चीज आपके सामने रखते हैं। ओझाजी का कहना है कि शिक्षा विभाग में कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

जिस तरह से किसी मनुष्य के साथ भूत लग जाता है जो बराबर उसके पीछे लगा रहता है ठीक इसी तरह से यह लोग कहते हैं कि सरकार भूत की तरह से इसके पीछे लगी हुई है। यह हमारे भूत है और हम इनके भूत है। कर्पूरी जी ने इस बिल पर मुझे धन्यवाद दिया था। इसलिये मुझे आशा है कि सारे माननीयसदस्य भी इसपर धन्यवाद देंगे।

इन्हीं सारे शब्दों के साथ, इस सदन से आग्रह करूंगा कि इस बिल को परिचारित करने की कोशिश न करें। बिल बहुत अच्छा है और इसका काम बहुत सुन्दर है इसलिये स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दें।

श्री रामाशीश सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस बिल को परिचारित होना चाहिये।

अध्यक्ष—आपको इस संबंध में जो कहना है कहिये।

श्री रामाशीश सिंह—अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया है वह संतोषजनक नहीं हुआ है। इसलिये इसे जनमत जानने के लिये भेजा जाय।

अध्यक्ष—क्या आपको इससे अधिक और नहीं कहना है?

श्री रामाशीश सिंह—जी नहीं।

सभा मंगलवार, तिथि १५ दिसम्बर १९५९ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना : इनायतुर रहमान,
सचिव,
तिथि १४ दिसम्बर १९५९। बिहार विधान-सभा।

दैनिक निर्वेश।

(सोमवार, तिथि १४ दिसम्बर १९५९।)

पृष्ठ।

शोकप्रकाश :

अध्यक्ष द्वारा भूतपूर्व सदस्य श्री मिहिर कवि के निधन पर शोक प्रकाश १-२

कागज का मेज पर रखा जाना :

राजकीय आश्वासन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन ३

स्थगन प्रस्ताव :

स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकृत हुआ .. .. ३—७

पारित विधेयक :

संथाल परगनाज जस्टिस रेगुलेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ पर खंडश: विचार हुआ तथा सदन द्वारा पारित हुआ। ८-९

रांची डिस्ट्रिक्ट ताना भगत रैयत्स एग्रिकल्चरल लैंड्स रेस्टोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ पर खंडश: विचार हुआ तथा सदन द्वारा पारित हुआ। ९—१३

विचाराधीन विधेयक :

बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल, १९५९ पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा उसपर वाद विवाद जारी रहा। १३—३३

DAILY DIGEST.

[*Monday, the 14th December* 1959.]

	PAGES.
Obituary reference :	
The Speaker made a reference to the passing away of Shri Mihir Kavi, ex-M. L. A. Thereafter the Members stood in silence for a minute as a mark of respect.	1-2
Paper laid on the Table :	
Fourth report of the Committee on Government Assurances.	3
Adjournment motions :	
The Speaker disallowed an adjournment motion.	3—7
Bill passed :	
(*i*) The Santhal Parganas Justice Regulation (Amendment) Bill, 1959 was passed by the House.	8-9
(*ii*) The Ranchi District Tana Bhagat Raiyats Agricultural Lands Restoration (Amendment) Bill, 1959 was passed by the House.	9—13
Bill under consideration :	
The Bihar School Examination Board (Amendment) Bill, 1959, was taken into considertation. The discussion on the Bill was however not concluded.	13—33

बिहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

वि० स० मु० (एल० ए०) ४७२—मोनो—८६५—७-११-१९६०—निसेन